फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

.........सुरेश सिंह.........बनाम.........मुंशीलाल.........

प्रकरण सं........2/8/24......... तारीख रजू.........02.02.2024...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
02.02.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी को रहन बय व मुंतकिल ना करे एवं मौके व रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं. 41, 109, 388, 389, 390 वाके ग्राम सिरमोर तह0 गोविन्दगढ़ में कब्जे काश्त में रूकावट व मजामत पैदा नही करे, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन बय व मुंतकिल न करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 23.02.2024 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 23.02.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.1.25	पत्रावली पेश। P.O. साहब अवकाश कार्य निष्पादन है। पत्रावली दिनांक 20.2.25 को पेश हो। रीडर
20.2.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते तलबी की तामील रिपोर्ट इन्तजार आयंदा दिनांक 10.3.25 को पेश हो।
10.3.25 Not pressed [illegible]	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र -212 नोट प्रेस कर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज करवाये जाने बाबत निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र -212 वकील प्रार्थी के नोट प्रेस किये जाने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०